रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2653] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 8, 2016/कार्तिक 17, 1938
No. 2653] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 8, 2016/KARTIKA 17, 1938

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवंबर, 2016

का.आ. 3408(अ).—केंद्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 8 नवंबर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 10/3/2016-सीवाई-I तारीख 8 नवंबर, 2016 द्वारा यह घोषणा की है कि पांच सौ रुपए तथा एक हजार रुपए के अंकित मूल्य की विद्यमान श्रृंखलाओं के बैंक नोट (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट बैंक नोट कहा गया है) 9 नवंबर, 2016 से ही वैध मुद्रा नहीं रहेगी ;

और विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का प्रयोग करने वाले कतिपय आपातिक और अत्यावश्यक संव्यवहार करने में जनता की सुविधा के लिए कतिपय छूटों को अधिसूचित करना आवश्यक हो गया है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि विनिर्दिष्ट बैंक नोट 9 नवंबर, 2016 से 11 नवंबर, 2016 तक नीचे विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के विस्तार तक वैध मुद्रा नहीं रहेगी, अर्थात् :--

(क) चिकित्सकों के नुस्खों के साथ औषधियां क्रय करने के लिए सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार और फार्मेसी के लिए सरकारी अस्पतालों में संदाय करने हेतु ;

(ख) रेल टिकट काउंटरों, सरकारी या पब्लिक सेक्टर उपक्रम की बसों के टिकट काउंटरों पर और टिकट के क्रय के लिए विमानपत्तनों पर एयरलाइन टिकट काउंटरों पर ;

(ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के प्राधिकार के अधीन प्रचालित उपभोक्ता सहकारी भंडारों पर क्रय के लिए ;

(घ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे दुग्ध बूथों पर क्रय के लिए ;

(ङ) पब्लिक सेक्टर तेल विपणन कंपनियों के प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे स्टेशनों से पेट्रोल, डीजल और गैस के क्रय के लिए ;

(च) शवदाह गृहों और कब्रिस्तानों में संदाय के लिए ;

(छ) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में, आगमन और प्रस्थान करने वाले ऐसे यात्रियों के लिए, जो ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोट रखते हैं, जिनका मूल्य वैध मुद्रा विशेषता रखने वाले नोटों के लिए उनका विनिमय करने के लिए पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है ;

(ज) विदेशी पर्यटकों के लिए, विदेशी मुद्रा या विनिर्दिष्ट बैंक नोट, जिनका मूल्य, वैध मुद्रा की विशेषता रखने वाले नोटों के लिए उनका विनिमय करने के लिए पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है, का विनिमय करने के लिए ।

2. पैरा 1 में निर्दिष्ट सभी स्थापन 9 नवंबर, 2016 और 11 नवंबर, 2016 के बीच की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों से किए गए संव्यवहारों के स्टॉक और विक्रय के अभिलेख का पूरा लेखा-जोखा रखेंगे ।

[फा.सं. 10/03/2016-सीवाई. I]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2016

S.O. 3408(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, *vide* F. No. 10/3/2016-Cy.I dated 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th November, 2016, the Central Government declared that the bank notes of existing series of denomination of the value of five hundred rupees and one thousand rupees (hereinafter referred to as the specified bank notes), shall cease to be legal tender on and from the 9th November, 2016;

And whereas, it has become necessary to notify certain exemptions for the convenience of the members of public in carrying out certain emergent and urgent transactions using the specified bank notes;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby declares that the specified bank notes shall not be ceased to be legal tender, with effect from the 9th November, 2016 until the 11th November, 2016, to the extent of transactions specified below, namely:—

(a) for making payments in Government hospitals for medical treatment and pharmacies in Government hospitals for buying medicines with doctor's prescription;

(b) at railway ticketing counters, ticket counters of Government or Public Sector Undertakings buses and airline ticketing counters at airports for purchase of tickets;

(c) for purchases at consumer cooperative stores operated under authorisation of Central or State Governments;

(d) for purchase at milk booths operating under authorisation of the Central or State Governments;

(e) for purchase of petrol, diesel and gas at the stations operating under the authorisation of Public Sector Oil Marketing Companies;

(f) for payments at crematoria and burial grounds;

(g) at international airports, for arriving and departing passengers, who possess specified bank notes, the value of which does not exceed five thousand rupees to exchange them for notes having legal tender character;

(h) for foreign tourists to exchange foreign currency or specified bank notes, the value of which does not exceed five thousand rupees to exchange them for notes having legal tender character.

2. All establishments referred to in paragraph 1, shall maintain complete account of record of stock and sale of transactions made with the specified bank notes during the period between 9th November, 2016 and 11th November, 2016.

[F. No. 10/03/2016-Cy. I]
Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.11.08 22:48:55 +05'30'